फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

रूकमणी वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा ......225...... मुकदमा नंबर......17...... सन......23......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.02.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से पत्रावली आज न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 15/2023 बउनवान रूकमणी वगैरह बनाम मोहनसिंह वगैरह मे पाारित आदेश दिनांक 07.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट रूकमणी ने स्वंय उपस्थित होकर स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट रूकमणी की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट रूकमणी ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कारण अपीलांट वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अपीलांट रूकमणी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलांट रूकमणी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के संबध मे कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलांट केवल मात्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के विरूद्ध उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो कि हाजा न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। किन्तु प्रकरण मे यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदिनांक तक लंबित है। अगर उक्त मूल वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र के लंबित रहते हुए वादग्रस्त आराजी पर मौके व राजस्व रेकर्ड मे किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। अत प्रकरण मे परिस्थितियो के मद्देनजर रखते हुए सहायक कलक्टर जालोर को आदेश दिया जाता है कि आपके समक्ष लंबित राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2023 बउनवान रूकमणी बनाम मोहनसिंह वगैरा मे पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 6 माह के	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। तब तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जालोर बी के वर्तमान खसरा नंबर 5037 के हाल बट्टा संख्या 6804/5037 पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली